डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, रविवार, दिनांक 10 जून 2001—ज्येष्ठ 20, शक 1923

परिवहन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक 338/505/परिवहन/2001.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 28,39,65 तथा 96 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम, 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(24) फीस-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभावित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम (3)
		रुपये
1.	चिकित्सीय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	30.00
2.	नौसिखिया अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में	30.00
3.	चालान अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में—	
	प्रारूप 6 में	100.00
	प्रारूप 7 में	150.00

(1)	(2)	(3)
		रुपये
4.	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार जारी किये जाने के संबंध में	100.00
5.	परिवहन यान के चालक को बैज जारी किये जाने और बैज की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में	100.00
6.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में	50.00
7.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के विनिश्चय की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अत्यावश्यक (अर्जेन्ट)	100.00
8.	अपील फाइल किये जाने के संबंध में अभिलेख का निरीक्षण किये जाने के संबंध में	50.00
9.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के विनिश्चय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अत्यावश्यक (अर्जेन्ट)	100.00
10.	अनुज्ञापन प्राधिकारी को संबोधित किये गये किसी आवेदन के संबंध में	50.00

2. नियम, 40 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(40) फीस-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम (3)
		रुपये
1.	परिचालक अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण करने के संबंध में	100.00
2.	परिचालक अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	150.00
3.	परिचालक बिल्ला (बैज) जारी करने के संबंध में	100.00
4.	परिचालक के बिल्ले की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	150.00
5.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में	100.00
6.	विनिश्चिय/अभिलेख की प्रति प्रदाय करने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अति अत्यावश्यक	100.00
7.	अपील के फाइल करने से संबंधित अभिलेख के निरीक्षण के संबंध में	50.00
8.	अनुज्ञापन प्राधिकारी को संबोधित प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में	50.00

3. नियम, 62 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(62) फीस-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)		रकम (3)
			रुपये
1.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशन—		
	(क) अशक्त यान		10.00
	(ख) मोटर सायकल या मोटर सायकल रिक्शा		50.00
	(ग) हल्का मोटरयान	1. प्रायवेट	100.00
		2. परिवहन	200.00

(1)	(2)	(3)
		रुपये
	(घ) मध्यम मोटरयान अथवा अन्य कोई यान जो ऊपर वर्णित न हो	200.00
2.	अपील	100.00
3.	विनिश्चिय/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अति अत्यावश्यक	100.00
4.	विविध आवेदन-पत्र	50.00
5.	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जारी करने के लिये	50.00
6.	उपयुक्त प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये—	
	(एक) हल्का मोटरयान 1. गैर परिवहन	100.00
	2. परिवहन	200.00
	(दो) मध्यम-माल मोटरयान, मध्यम यात्री मोटरयान,	300.00
	(तीन) भारी-माल मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान	500.00

4. नियम, 145 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(145) फीस-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम (3)
		रुपये
1.	मंजली गाड़ी/आरक्षित मंजली गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
2.	मंजली गाड़ी/आरक्षित मंजली गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
3.	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु किसी आवेदन के संबंध में	1000.00
4.	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु किसी आवेदन के संबंध में.	1000.00
5.	प्रायवेट सेवा यान के लिये अनुज्ञापत्र के दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
6.	मोटर केब के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
7.	मोटर केब के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
8.	मालयान के लिये दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
9.	मालयान के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
10.	मालयान के लिये नेशनल परमिट (राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र) दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
11.	पर्यटक (ओमनी बस) के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
12.	अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सी केब के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	800.00
13.	मोटर केब से भिन्न परिवहन यान के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(अ) धारा 87 (1) (क) के अधीन यात्री यान के लिये	500.00
	(ब) धारा 87 (1) (ख) के अधीन यात्री यान के लिये	500.00
	(स) धारा 87 (1) (ग) के अधीन यात्री यान के लिये	500.00

(1)	(2)	(3)
		रुपये
14.	मोटर केब के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
15.	अधिनियम की धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	1000.00
16.	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र में क्षेत्र या मार्गों (रूटर्स) के विस्तारण या उसमें फेराफार करने या उस अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1000.00
17.	आरक्षित मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र के लिये (टाइपिंग) के परिवर्तन हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
18.	अस्थायी अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(क) मोटर केब के लिये	100.00
	(ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में	500.00
19.	चार मास से अनाधिक की काला अवधि के लिये किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन के मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में.	500.00
20.	मंजिली गाड़ी या ठेकागाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र वाले यान के प्रतिस्थापन के मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में.	500.00
21.	मोटरयान अधिनियम की धारा 82 के अधीन मोटर केब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
22.	मोटरयान अधिनियम की धारा 82 के अधीन मोटर केब के प्रत्येक अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में.	500.00
23.	अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
25.	शिकायत पुस्तक अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
26.	लोक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिये टिकटों की बिक्री हेतु ट्रेविल अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्ति जारी किये जाने/नवीकरण करने के संबंध आवेदन के संबंध में.	5000.00
27.	ट्रेविल अभिकर्त्ता अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी किये जाने के संबंध में	2000.00
28.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(एक) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञाप हेतु—	300.00
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	
	(दो) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के आवेदन हेतु—	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	300.00
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	
29.	परिवहन प्राधिकारी या अपीली प्राधिकारी के अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु आवेदन के संबंध में	50.00
30.	परिवहन प्राधिकारी या अपीली प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्त्यारनामा के संबंध में	50.00
31.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत् अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाइल किया जाता है.	100.00
32.	आदेशिका फीस जहां प्रत्याशियों की संख्या 5 से अधिक है	50.00
33.	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में,—	
	(क) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिये—	
	(एक) सामान्य — प्रथम पृष्ठ के लिये रु. 20.00; तत्पश्चात् के लिये रु. 10.00	
	(दो) अति-आवश्यक — ऊपर खण्ड (एक) में यथा—विनिर्दिष्ट रकम की दोगुनी.	

(1)	(2)		(3)
			रुपये
	(ख) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्हीं अन्य दस्तावेजों के लिये—		
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिये रु. 15.00 पश्चात्‌वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिये रु. 5.00	
	(दो) अति-आवश्यक	ऊपर खण्ड (एक) में यथा—विनिर्दिष्ट रकम की दोगुनी.	
34.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में.		5.00

टीप—(1) इस नियम के खण्ड 8 तथा 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र मंजूर/नवीकरण करने हेतु अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी यदि आवेदन वास्तविक कृषक द्वारा उसके स्वामित्व के ट्रेक्टर अनुयान के लिये प्रस्तुत किया गया हो.

स्पष्टीकरण—अभिव्यक्ति वास्तविक कृषक का वही अर्थ होगा जो इसके लिये भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है.

(1)	(2)		(3)
35.	अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्ति के लिये दिये जाने/नवीकरण या अनुपूरक अनुज्ञप्ति या उसकी द्वितीय प्रति के लिए फीस निम्नानुसार होगी—		
	(1) अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिये		1000.00
	(2) प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिये अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिये		500.00
	(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये		1000.00
	(4) प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिये अनुपूरक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये		300.00
	(5) द्वितीय प्रति जारी करने के लिये—		
	(एक) प्रमुख अनुज्ञप्ति की		250.00
	(दो) शाखा कार्यालय के लिये अनुज्ञप्ति की		200.00
	(6) अपील फाइल करने के लिए		500.00
	(7) क—अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिये—		
	(एक) सामान्य		100.00
	(दो) अति आवश्यक		200.00
	ख—अन्य किसी दस्तावेज की प्रमाणित के लिये—		
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिये रु. 20.00 पश्चातवर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिये रु. 10.00	
	(दो) अति आवश्यक	ऊपर उप-खण्ड (एक) में यथा—विनिर्दिष्ट रकम की दो गुनी.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. विज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जून, 2001

क्रमांक 340/505/परिवहन/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 10-6-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. राव, अवर-सचिव.

Raipur, the 7th June 2001

NOTIFICATION

No. 338/505/TRANSPORT/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 28, 38, 65 & 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryān Niyam, 1994, which has already been published as required by the Section (1) of Section 212 of the said Act :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For rule 24 the following rule shall be substituted namely :—

(24) Fees—The fees which shall be charged under the provision of this chapter shall be as specified below :—

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (3) Rs.
1.	In respect of issue of Medical Certificate	30.00
2.	In respect of issue of duplicate Learning License.	30.00
3.	In respect of issue of duplicate Driving License	
	In Form-6	100.00
	In Form-7	150.00
4.	In respect of issue of authorization to the driver of Transport Vehicle	100.00
5.	In respect of issue of badge and for issue of a duplicate badge to the driver of Transport Vehicle.	100.00
6.	In respect of an appeal against the order of the Licensing Authority	50.00
7.	In respect of supplying a copy of the decision of the Licensing Authority—	
	(1) Ordinary	50.00
	(2) Urgent	100.00
8.	In respect of inspection of record in connection with filling an appeal	50.00
9.	In respect of supply of copy of a document other than decision of a Licensing Authority—	
	(1) Ordinary	50.00
	(2) Urgent	100.00
10.	In respect of any other application addressed to licensing authority	50.00

2. For rule 40 the following rule shall be substituted namely :—

(40) Fees—The fees which shall be charged under the provision of this chapter shall be as specified below :—

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (3) Rs.
1.	In respect of issue of renewal of conductor's License	100.00
2.	In respect of issue of duplicate conductor's License	150.00
3.	In respect of issue of a conductor's Badge	100.00
4.	In respect of issue of duplicate conductor's Badge	150.00
5.	In respect of an appeal against the order of the Licensing Authority	100.00
6.	In respect of supplying a copy of the decision/document—	
	(1) Ordinary	50.00
	(2) Urgent	100.00
7.	In respect of inspection of record in connection with filling an appeal	50.00
8.	In respect of misellaneous application addressed to Licensing Authority	50.00

3. For rule 62 the following rule shall be substituted namely :—

(62) Fees—The fees which shall be charged under the provision of this chapter shall be as specified below :—

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (3) Rs.
1.	Issue of temporary registration or extension thereof and assignment of temporary registration mark—	
	(a) Invalid carriage	10.00
	(b) Motor Cycle or Motor Rickshaw	50.00
	(c) Light Motor Vehicle 1- Private	100.00
	2- Transport	200.00
	(d) Medium Motor Vehicle or other Vehicle not mentioned above appeal	200.00
2.	Appeal	100.00
3.	Certificate copy of the decision/document—	
	(1) Ordinary	50.00
	(2) Urgent	100.00
4.	Miscellaneous application	50.00
5.	Issue of particulars of Registration	50.00
6.	Issue of duplicate Certificate of fitness for—	
	(a) Light Motor Vehicle— 1. Non-Trans.	100.00
	2. Transport	200.00
	(b) Medium Goods Motor Vehicle. Medium Passengers Motor Vehicle. Medium Passengers Motor Vehicle.	300.00
	(c) Heavy Goods Vehicle. Heavy Passenger Vehicle.	500.00

4. For rule 145 the following rule shall be substituted namely :—

(145) Fees—The fees which shall be charged under the provision of this chapter shall be as specified below :—

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (3) Rs.
1.	In respect of an application for grant or renewal of stage carriage/reserve stage carriage permit.	1000.00

(1)	(2)	(3) Rs.
2.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of stage carriage/reserve stage carriage permit.	1000.00
3.	In respect of any application for grant or renewal of contract carriage permit	1000.00
4.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of contract carriage permit.	1000.00
5.	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit	1000.00
6.	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab Permit	1000.00
7.	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab Permit.	500.00
8.	In respect of an application for grant/renewal of a Goods Carriage Permit	1000.00
9.	In respect of an application for grant/renewal of a countersignature of Goods Carriage Permit.	1000.00
10.	In respect of an application for grant/renewal of a National Permit for Goods Carriage.	1000.00
11.	In respect of an application for grant/renewal of a Tourist Vehicle Permit (Omni Bus).	1000.00
12.	In respect of application for grant/renewal all India Tourist Taxi Cab Permit	800.00
13.	In respect of an application for Temporary Permit or Transport Vehicle other than Motor Cab :—	
	(a) For a Passenger Vehicle under Section 87 (1) (a)	500.00
	(b) For a goods carriage under Section (1) (a)	500.00
	(c) For a Passenger Vehicle under Section 87 (1) (a)	500.00
14.	In respect of an application for temporary permit of Motor Cab	100.00
15.	In respect of an application for a special permit u/s 88 (8) if the Act	1000.00
16.	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a permit or countersignature of stage carriage/contract carriage permit.	1000.00
17.	In respect of an application of change carriage permit/reserve stage carriage	1000.00
18.	In respect of an application for countersignature of a temporary permit :—	
	(a) for Motor Cab	100.00
	(b) any other Transport Vehicle.	500.00
19.	In respect of an application for grant of temporary replacement of Vehicle for the period not exceeding four months.	500.00
20.	In respect of an application for grant of Vehicle of stage carriage or contract carriage permit.	500.00
21.	In respect of an application for transfer of each permit other than Motor Cab under Section 82 of the Act.	1000.00
22.	In respect of an application for transfer of each permit of Motor Cab under Section 82 of the Act.	500.00
23.	In respect of an application for issue of permit.	100.00
24.	In respect of an application for issue of duplicate of a temporary permit	100.00
25.	In respect of an application for obtaining complaint book	100.00
26.	In respect of an application for issue/renewal of Travel Agent's Licence for sale of tickets for travels by public service Vehicle.	5000.00
27.	In respect of an application for issue of duplicate Travel Agent's Licence	2000.00
28.	In respect of an application for appeal or revision :—	
	(i) Memorandum of appeal against the order of—	
	(a) State Transport Authority (b) Regional Transport Authority	300.00
	(ii) In respect of an application for revision against the order of—	
	(a) State Transport Authority (b) Regional Transport Authority	300.00
29.	In respect of an application to inspection the record of Transport Authority or Appellate Authority.	50.00
30.	In respect of power of attorney when presented to the Transport Authority or Appellate Authority.	50.00

(1)	(2)	(3) Rs.
31.	In respect of an application for stay if filled with the memorandum of appeal/ application for revision.	100.00
32.	Process fee, in case respondents extend five in number.	50.00
33.	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority State Transport Authority or Regional Transport Authority :—	
	(a) Supply of copy of judgment or order of the Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority :—	
	(i) Ordinary — Rs. 20.00 for the first page and Rs. 10.00 for each subsequent page.	
	(ii) Urgent — Twice the amount specified as in clause (i) above.	
	(b) any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority :—	
	(i) Ordinary — Rs. 15.00 for the first page and Rs. 5.00 for each subsequent page.	
	(ii) Urgent — Twice the amount specified as in clause (i) above.	
34.	In respect of any other miscellaneous application when addressed to Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or Secretary of these Authorities.	50.00
	Note—(1) No fee shall be payable in respect of an application for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 8 and 13 of this rule if the application is presented by the bonded agriculturist for tractor, trolley owned by him.	
	Explanation—The expression "bonafide agriculturist" shall have the meaning as assigned to if the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).	
35.	The Fees for the grant of renewal of Agent's Licence or supplementary Licence or a duplicate thereof, shall be as follows :—	
	1. For grant of a Licence	1000.00
	2. For grant of supplementary Licence of each branch office.	500.00
	3. For renewal of Licence.	1000.00
	4. For renewal of supplementary Licence for each branch office	300.00 (Each)
	5. Issue of duplicate copy of—	
	(i) Principal Licence	250.00
	(ii) For Branch Office Licence	200.00
	6. For filling of appeal	500.00
	7. (a) For supply of certified copy of order of the Licensing Authority—	
	(i) Ordinary	100.00
	(ii) Urgent	200.00
	(b) Certified copy of any other document—	
	(i) Ordinary — Rs. 20.00 for the first page and Rs. 10.00 for each subsequent page.	

(1)	(2)	(3)
	(ii) Urgent	Twice the amount specified as in clause (i) above.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
R. K. VIJ, Dy. Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.